संख्या– 1544/आठ–1–09–32विविध/09

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 29 मई, 2009

विषयः– परिवर्तन शुल्क की दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवर्तन शुल्क की दर निर्धारण के संबध में अब तक निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

क्र0सं0	सम्पत्ति परिवर्तन का विवरण	परिवर्तन शुल्क की दर
1.	एक ही योजना में बहुमंजिले अपार्टमेण्ट के फलैटों से अन्य फ्लैट में सभी प्रकार के परिवर्तन पर ।	फ्लैट की कीमत का 01 प्रतिशत
2.	एक ही योजना के एक सेक्टर में ही समतुल्य क्षेत्रफल के भूखण्ड से	शून्य
3.	एक ही योजना के एक ही सेक्टर में छोटे से बड़े भूखण्ड में	कीमत में अन्तर का 05 प्रतिशत
4.	एक ही योजना के अन्य सेक्टर में भूखण्ड में परिवर्तन पर	कीमत में अन्तर का 10 प्रतिशत
5.	एक योजना के किसी भी सेक्टर में भूखण्ड से भवन/फ्लैट में परिवर्तन पर	कीमत में अन्तर का 10 प्रतिशत
6.	एक योजना के किसी भी सेक्टर में एकल भवन से फ्लैट में परिवर्तन पर	कीमत में अन्तर का 10 प्रतिशत

2– कृपया उक्त व्यवस्था का अनुपलान तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–1544(1)/आठ–1–09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4. निदेशक (अनुश्रवण), आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए मस्त संबंधितों को सूचित करने का कष्ट करें।
5. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनु सचिव ।